न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– निरमा बिश्नोई, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 69/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सम्पत सुवालका हिन्दु अविभाजित परिवार जरिये कर्ता श्री सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका उम्र वयस्क निवासी बसन्त विहार भीलवाड़ा।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 29.03.2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दिनांक 21.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम लाम्बियाकलां पटवार क्षैत्र लाम्बियाकलां भू–अभिलेख रायला तहसील बनेड़ा की खाता संख्या 652 के आराजी नं. 1413, 1414, 1415, 1416, 3029/908, 3030/908, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911 कुल खसरा 18 रकबा 13.3039 है0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

उक्त खाता संख्या 652 के आराजी नं. 1413, 1414, 1415, 1416, 3029/908, 3030/908, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911 कुल खसरा 18 रकबा 13.3039 है0 भूमि प्रार्थी द्वारा पूर्व में जरिये विक्रय पत्र रजिस्टर्ड से सम्पत सुवालका हिन्दु अविभाजित परिवार के नाम से क्रय की गई जिसका नामान्तरण पटवार हल्का लाम्बियाकलां द्वारा खोला गया था। जिसमें श्री सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका के नाम से खोल दिया था जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी का पंजीयन कराया उस समय सम्पत सुवालका हिन्दु अविभाजित परिवार जरिये कर्ता श्री सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका के नाम से करवाया था, लेकिन राजस्व कर्मचारी ने केवल सम्पत पिता बालचन्द से उक्त आराजियात का नामान्तरण गलत खोल दिया है जो कि गलत है जो गलती निरन्तर आज दिन तक चली आ रही है जिसको सही किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बनेड़ा/राजकीय पैरोकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार बनेड़ा ने उनके पत्रांक/भू. अ./23/851 दिनांक 28.03.2023 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई:–

1. ग्राम लाम्बियाकलां के पंजीबद्ध दस्तावेज क्रमांक 455/97 दिनांक 16.09.1997, 451/97 दिनांक 16.09.1997, 458/97 दिनांक 16.09.1997, 456/97 दिनांक 16. 09.1997, 457/97 दिनांक 16.09.1997, 460/97 दिनांक 16.09.1997, 454/97 दिनांक 16.09.1997, 459/97 दिनांक 16.09.1997 द्वारा क्रेता सम्पत सुवालका हिन्दु

अविभाजित परिवार जरिये कर्ता श्री सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका उम्र वयस्क निवासी बसन्त बिहार भीलवाड़ा द्वारा क्रय की गई।

2. उक्त पंजीवद्ध दस्तावेजो अनुसार ग्राम लाम्बियाकलां की नामान्तरण सं. 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, जो कि सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका निवारी बसन्त बिहार भीलवाड़ा खातेदार दर्ज किया गया।
3. ग्राम लाम्बियाकलां की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2020) के खाता सं0 652 पर किता– 15 रकबा 10.1844 पर खातेदार सम्पत पिता बालचन्द सुवालका सा0 बसन्त बिहार भीलवाड़ा दर्ज रेकार्ड है।
4. ग्राम लाम्बियाकलां के पंजीबद्ध दस्तावेजों में जो नामान्तरण दर्ज किये गये उनमें सहवन से सम्पत सुवालका (हिन्दु अविभाजित परिवार) जरिये केता श्री सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका निवारी बसन्त बिहार भीलवाड़ा के बजाय सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका निवासी बसन्त बिहार भीलवाड़ा खातेदार दर्ज किया गया जो गलत होकर आज दिनांक तक चला आ रहा है।

अतः पंजीबद्ध दस्तावेज में दर्ज सम्पत सुवालका (हिन्दु अविभाजित परिवार) जरिये केता श्री सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका निवासी बसन्त बिहार भीलवाड़ा दर्ज किया जाना उचित है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड तथा प्रकरण में तहसीलदार बनेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका स्वंय उपस्थित हुये तथा निवेदन किया की दौराने नामान्तरण प्रार्थी का नाम सम्पत सुवालका (हिन्दु अविभाजित परिवार) जरिये केता श्री सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका निवासी बसन्त बिहार भीलवाड़ा के बजाय सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका निवासी बसन्त बिहार भीलवाड़ा दर्ज हो गया जो गलत है अतः इसे सही किया जावें। प्रार्थी की बहस सुनी गई व पैरोकार सरकार स्वंय उपस्थित हुए।

उपरोक्त के अवलोकन व सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस तथा कानूनी प्रावधानों व दृष्टान्तों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि ग्राम लाम्बियाकलां पटवार क्षेत्र लाम्बियाकलां भू–अभिलेख रायला तहसील बनेड़ा की खाता संख्या 652 के आराजी नं. 1413, 1414, 1415, 1416, 3029/908, 3030/908, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911 कुल खसरा 18 रकबा 13.3039 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा ग्राम लाम्बियाकलां के पंजीबद्ध दस्तावेज कमांक 455/97 दिनांक 16.09.1997, 451/97 दिनांक 16.09.1997, 458/97 दिनांक 16.09.1997, 456/97 दिनांक 16.09.1997, 457/97 दिनांक 16.09.1997, 460/97 दिनांक 16.09.1997, 454/97 दिनांक 16.09.1997, 459/97 दिनांक 16.09.1997 द्वारा केता सम्पत सुवालका हिन्दु अविभाजित परिवार जरिये कर्ता श्री सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका उम्र वयस्क निवासी बसन्त बिहार भीलवाड़ा द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तरण के वक्त प्रार्थी का नाम सम्पत सुवालका (हिन्दु अविभाजित परिवार) जरिये केता श्री सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका निवासी बसन्त बिहार भीलवाड़ा के बजाय सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका निवासी बसन्त बिहार भीलवाड़ा दर्ज हो गया जिसे सही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। ग्राम लाम्बियाकलां पटवार क्षेत्र लाम्बियाकलां भू–अभिलेख रायला तहसील बनेड़ा की खाता संख्या 652 के आराजी नं. 1413, 1414, 1415, 1416, 3029/908, 3030/908, 900, 901, 902, 903, 904,

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)

905, 906, 907, 908, 909, 910, 911 कुल खसरा 18 रकबा 13.3039 है0 भूमि में खातेदार प्रार्थी सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका निवासी बसन्त बिहार भीलवाड़ा के बजाय सम्पत सुवालका हिन्दु अविभाजित परिवार जरिये कर्ता श्री सम्पत सुवालका आत्मज श्री बालचन्द सुवालका उम्र वयस्क निवासी बसन्त बिहार भीलवाड़ा किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार बनेड़ा उक्तानुसार जमाबन्दी में शुद्धि करें।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय / कार्यालय उप खण्ड अधिकारी • बनेड़ा (भीलवाड़ा)

(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा